बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पत्रांक–पि०व०/4/वि0यो०–22–03/2023 – पटना, दिनांक–

प्रेषक,

अनिल कुमार ठाकुर,
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य के 12 जिलों यथा–औरंगाबाद, भागलपुर, गया, जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया, मधेपुरा, नालन्दा, सहरसा, सिवान, मुंगेर एवं सुपौल में 520 आसन वाले संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में कम्पयूटर प्रयोगशाला के अधिष्ठापन तथा प्रयोगशाला उपकरणों के क्रय एवं स्मार्ट क्लास के अधिष्ठापन तथा आवश्यक सामग्रियों/उपकरणों के क्रय हेतु कुल राशि रु0 6,28,65,600/–(रु0 छः करोड़ अठाइस लाख पैंसठ हजार छः सौ) मात्र का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–68, दिनांक–14.01.2025 के द्वारा राज्य के 12 जिलों यथा–औरंगाबाद, भागलपुर, गया, जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया, मधेपुरा, नालन्दा, सहरसा, सिवान, मुंगेर एवं सुपौल में 520 आसन वाले संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में कम्पयूटर प्रयोगशाला के अधिष्ठापन तथा प्रयोगशाला उपकरणों के क्रय हेतु अनुमानित प्रति विद्यालय रु0 31,45,000/– (रु0 इकतीस लाख पैंतालीस हजार) की दर से कुल राशि रु0 3,77,40,000/– (रु0 तीन करोड़ सतहत्तर लाख चालीस हजार) मात्र तथा प्रशिक्षण मद में रु0 50,000/– प्रति विद्यालय की दर से कुल राशि रु0 6,00,000/– (रु0 छः लाख) मात्र एवं स्मार्ट क्लास के अधिष्ठापन तथा आवश्यक सामग्रियों/उपकरणों के क्रय हेतु अनुमानित प्रति विद्यालय रु0 11,75,000/– (रु0 ग्यारह लाख पचहत्तर हजार) मात्र की दर से कुल राशि रु0 1,41,00,000/– (रु0 एक करोड़ इकतालीस लाख) मात्र अर्थात् अनुमानित कुल राशि रु0 5,24,40,000/– (रु0 पाँच करोड़ चौबीस लाख चालीस हजार) मात्र की स्वीकृति दी गयी है।

2– उक्त स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य के 12 जिलों यथा–औरंगाबाद, भागलपुर, गया, जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया, मधेपुरा, नालन्दा, सहरसा, सिवान, मुंगेर एवं सुपौल में 520 आसन वाले संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में कम्पयूटर प्रयोगशाला के अधिष्ठापन तथा प्रयोगशाला उपकरणों के क्रय एवं स्मार्ट क्लास के अधिष्ठापन तथा आवश्यक सामग्रियों/उपकरणों के क्रय हेतु कुल राशि रु0 6,28,65,600/–(रु0 छः करोड़ अठाइस लाख पैंसठ हजार छः सौ) मात्र आवंटित किया जाता है।

3–कुल भारित व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत बजट शीर्ष माँग संख्या 11 मुख्य शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण उपमुख्य शीर्ष 03– पिछड़े वर्गों का कल्याण, लघु शीर्ष 277– शिक्षा, उप शीर्ष 0010–पिछड़ी जातियों के लिए 12 (बारह) कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों का संधारण, विषय शीर्ष 21.01 –सामग्री एवं पूर्तियां इकाई से विपत्र कोड संख्या–11-2225–03–277–0010 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

4–आवंटित/निकासी की गयी राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–68, दिनांक–14.01.2025 तथा बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम द्वारा की गयी खुली निविदा द्वारा तय की गयी न्यूनतम दर एवं शर्त के अनुसार किया जायेगा।

5–इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना होंगे। निकासी एवं व्ययन

पदाधिकारी राशि की निकासी किये जाने के पश्चात इसे बही अंतरण (Book Transfer) के माध्यम से बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना के पी0एल0 खाता संख्या—PTSPLA007 में Ledger Name- OPERATION & MAINTENANCE OF SCHOOLS & HOSTELS तथा Ledger id-17221 में CFMS के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे। इसका संव्यवहार (Transaction) नियमानुसार प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना द्वारा किया जायेगा। राशि के व्यय की पूर्ण जिम्मेवारी बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना की होगी। राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।

6—राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या—2561 दिनांक—17.04.1998 तथा समय—समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों एवं विभागीय परिपत्रों में निहित निदेशों/प्रावधान के आलोक में करेंगे।

7— प्रस्ताव एवं प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

8— प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

9—सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि के आवंटन की सूचना दी जा रही है।

10—कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाये।

विश्वासभाजन

ह0/—

(अनिल कुमार ठाकुर),
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक— पि0व0/4/वि0यो0—22—03/2023 — 58. पटना, दिनांक— 28/04/2026

प्रतिलिपि:—(1) महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार/सचिव (व्यय), सचिव (संसाधन), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/विभागीय लेखा शाखा (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(5) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित प्रमण्डलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण/संबंधित जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी/संबंधित अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(6) आई0टी0मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/04/26

सरकार के अपर सचिव।